मनासिक ज़मरह

ज़मरे के मनासिकः-

ज़मरा सुन्नत है। ज़मरे के लिए कोई विशेष समय घोषित नहीं। हज्ज के दिनों- 9/10/11/12/13 ज़िल हिज्जा के सिवा किसी भी समय ज़मरा संपादन किया जा सकता है।

ज़मरे की प्रतिष्ठा व उत्तमताः-

जामेअ़ तिरमीज़ी, सुनन इब्न माजह तथा सुनन निसाई में हदीस पाक हैः-

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير
خبث الحديد والذهب والفضة-

भाषांतरः- सैयदना अबदुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम पय दर पय (पैदन) हज्ज व ज़मरह किया करो क्यों के हज्ज व ज़मरा दरिद्रता व पापों को ऐसे ही अन्त करते हैं जैसे भेटी लोहा तथा सोना चाँदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। तथा स्वीकृत हज्ज का पुण्य व सवाब तो जन्नत ही है।

www.Ziaislamic.com

(जामेअ़ तिरमिज़ी, हदीस संख्याः 815, सुनन अन निसाई, हदीस संख्याः 2630, सुनन इ़ब्न माजह, हदीस संख्याः 2887)

सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में रिवायत हैः-

صلى الله عليه وسلم قَالَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ —

भाषांतरः- हज़रत अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः एक उ़मरा दूसरे उ़मरे की बीच के पापों का कफ्फारा (प्रतिकरण व क्षतिपूरक) तथा स्वीकृत हज्ज का बदला केवल जन्नत है।

(सहीह अल बुखारी, हदीस संख्याः 1773 / सहीह मुस्लिम, हदीस संख्याः 3355)

सुनन इ़ब्न माजह में हदीस पाक हैः-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ —

भाषांतरः- हज़रत अबु हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु वर्णित करते हैं के हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हज्ज और उ़मरा करने वाले अल्लाह तआ़ला के अतिथि व मेहमान हैं, यदि वे अल्लाह तआ़ला से कोई दुआ़ मांगते हैं तो वह स्वीकार फरमाता है तथा यदि वह मुक्ति व मोक्ष की इच्छा करते हैं तो अल्लाह तआ़ला उन्हें प्रदान कर देता है।

(सुनन इ़ब्न माजह, हदीस संख्याः 3004)

रमज़ान में उ़मरे की उत्तमताः-

सहीह मुसलिम शरीफ, जिल्द 1, पः 901, में हदीस पाक हैः-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ----فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِى–

भाषांतरः- सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रमज़ान में उ़मरा करना हज्ज के बराबर है बल्कि मेरे (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) हज्ज करने के बराबर है।

उ़मरा में 2 फर्ज़ हैः-

(1)- अहराम जिसमें नीयत उ़मरे व तलबिय।

(2)- कअ़बे का तवाफ।

उ़मरा के अनिवार्यताः-

उमरे के 2 अनिवार्यता (वाजिबात) हैः-

(1)- सफा और मरवह के बीच सई़ करना।

(2)- हलख या खसर करवाना।

हरम के दायरे व सीमा (हुदूदे-हरम) में रहने वाले लोग हरमी कहलाते हैं। हरम की सीमा रहने वाले व्यक्ति की मीखात, हज्ज के लिए हरम है तथा उ़मरा के लिए *हल* यथा हरम की सीमा के बाहर का भाग उदाहरणः मसजिद आयशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा, जअ़राना आदि।

हरम के दायरे के बाहर का वह भाग जो मीखात तक फैला हुआ है इसे *हल* कहते हैं। मीखात एवं हल के बीच में रहने वाले लोग को *हली* कहते हैं उदाहरण साकान जद्दह आदि इन की मीखात हल है।

यदि वे हज्ज या उ़मरे की नीयत से मक्का आएं तो वह अपने स्थान ही से अहराम बाँध लें।

मीखात से बाहर रहने वाले लोग जो हज्ज व उ़मरे का उद्देश्य कर के आएं इन को आफाखी कहते हैं।

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम सर्व विश्व से हज्ज व उ़मरे के लिए आने वालों के स्थान व जगेह निर्धारित किए हैं, के वे इन स्थान से अहराम बाँध कर आएँ।

www.Ziaislamic.com

सहीह बुखारी शरीफ में हदीस पाक हैः-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ-

भाषांतरः- भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबदुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है आप ने फरमाया के सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़वाल हलीफा मीखात घोषित किया तथा सीरिया वालों के लिए जहफा और नज्द वालों के लिए खरन अल मनाज़िल तथा यमन वालों के लिए यलमलम घोषित फरमाया।

(सहीह बुखारी, हदीस संख्याः 1526)

और सहीह मुसलिम शरीफ में हदीस पाक हैः-

أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ-

भाषांतरः- ईराक वालों के लिए मीखात "ज़ाच अ़रख" है।

(सहीह मुसलिम, हदीस संख्याः 2867)

पावन कअ़बा के चारो ओर निम्नलिखित मीखाती हैः-

www.Ziaislamic.com

(1)- "ज़ुल हलिफा"- मदीने से आने वालों के लिए मीखात है।

(2)- "जुहफा" मिस्र तथा सीरिया से आने वालों के लिए मीखात है।

(3)- "खिर्न" नज्द से आने वालों के लिए मीखात है।

(4)- "यलमलम" यमन, तहामा, भारत, पाकिस्तान और इस के पास से आने वालों के लिए मीखात है।

(5)- "ज़ात इरख" ईराक आदि से आने वालों के लिए मीखात है।

उ़मरे का तरीक़ाः-

अहराम में शरीअ़त अनुसार तात्पर्यः-

अहराम का अर्थ हराम करने के हैं। जब अहराम बाँध ने वाला उ़मरा व हज्ज की नीयत से अहराम बाँध कर तलबिय पढ लेता है तो चंद जाइज़ व हलाल अहराम के कारण इस पर हराम हो जाती हैं। इस लिए इस को अहराम कहते हैं।

अहराम की शाब्दिक अर्थः-

अक्षर में अहराम इन 2 चादरों को कहते हैं जिन को उ़मरा या हज्ज करने वाला उपयोग करता है। एक तहबंद के रूप में और दूसरी चादर के रूप में।

www.Ziaislamic.com

स्नान से मुक्त होने के बाद 2 चादरें एक तहबंद के रूप में उपयोग करें तथा दूसरी चादर के रूप में ओढ़ें।

अहराम की चादरें यदि नव हों तो सर्वश्रेष्ठ वे तहबंद है वरना उपयोग किए हुए (प्रयुक्त) चादरों को धोने के बाद उपयोग किया जा सकता है। फतावा आ़लमगिरी किताबुल मनासिक में हैः-

ویلبس ثوبین ازاراً و رداءً جدیدین غسیلین' والجدید افضل– کذافی فتاوی قاضی خان-

महिलाओं का अहरामः-

महिलाओं के लिए अहराम के कोई विशेष वस्त्र निर्धारित नहीं बल्कि इन का दैनिक का वस्त्र काफी है। शर्त यह है के वह सत्र को छिपाने वाला हो तथा हया व हिजाब के आवश्यकताओं को पूरा करता हो एवं महिला का अहराम इस के चहरे में है।

पुरुष लोग को सर और चहरे दोनों ढांकना मना है तथा महिलाओं को केवल चहरा ढांकना मना है।

महिलाएं ग़ैर-महरम (अनजान व्यक्ति) से परदा करने के उद्देश्य से इस प्रकार का नखाब उपयोग कर सकतीं हैं के जिस में कपडा चहरे से मस ना होता है।

जब अहराम बाँधने का उद्देश्य करें तो शरीर से अधिक बाल दूर करें तथा अच्छी तरह से स्नान करें। महिलाएं अगरचे के वह अपवित्रता व अशुद्धता ती स्थिति मं हों स्नान करें।

फिर सर ढांक कर ग़ैर-मकरुह समय में 2 रकात नफ्ल इस रूप में संपादन करें के प्रथम रकात में सुरह अल काफीरून तथा दूसरी रकात में सुरह अल इखलास पढें।

नमाज़ से मुक्त हो कर सर से चादर हटालें, क़िबले रुक़ हो कर उ़मरे की नीयत कर लें। नीयत दिल के इरादे व उद्देश्य का नाम हैं अतः ज़बान से संपादन करना मुसतहब व श्रेष्ठतर है।

उ़मरे की नीयतः-

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي–

भाषांतरः- ऐ अल्लाह! मैं उ़मरे की नीयत करता हुँ, तु इसे मेरे लिए सरल व आसान बना तथा इसे स्वीकार कर।

उ़मरे की नीयत के साथ ही एक बार तलबिय पढ़ना वाजिब (अनिवार्य) है तथा 3 बार पढ़ना मुसतहब है। पुरुष लोग बुलंद आवाज से पढ़े तथा महिलाएं आहिस्ता पढ़ें।

तलबिय यह हैः-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ–

तलबिया पढ़ने के बाद ज़िक्र व तसबीह, दुरूद व सलाम का प्रबंध कर लें। तथा तज़रुअ़ज़ारी के साथ दुआएं करें, जिस ज़बान में दुआ याद हो करें।

अहराम में प्रवेश होने के बाद चंद चीज़ें महरम पर हराम हो जाती हैं, इन से दूर रहेः-

अहराम के निषिद्ध चीजेः-

प्रधानतः व मुख्य रूप से अहराम की स्थिति में 6 चीज़ें निषिद्ध हैं। जिन में से 4 पुरुष व महिला दोनों से संबंधित हैं तथा 2 पुरुष लोग से संबंधित है।

(1)- पत्नी के साथ संभोग व सोहबत करना या इस के प्रकार और इस के सम्पूर्ण संबंधित यहाँ तक के इस विषय की कोई वार्तालाप आदि।

(2)- खुशकी के जानवरों का शिकार करना या शिकार की ओर रहबरी करना।

(3)- बाल कटवाना या नाखून तरशवान।

(4)- सुगंध का उपयोग करना।

ये 4 निषिद्ध पुरुष व महिला दोनों के लिए हैं। और ये 2-

(5)- सिला हुआ वस्त्र व पोशाक पहन्ना।

(6)- सर और चहरे को ढांकना।

ये केवल पुरुष लोग के लिए निषिद्ध (ममनुअ) है।

यदि किसी से अहराम की स्थिति इन 6 निषिद्ध में से कोई ममनुअ कर्म समापन हो जाए तो इस पर निम्नलिखित कफ्पारा व सदखा अनिवार्य आता है:-

प्रथम स्थिति यथा पत्नी के साथ संभोग व सोहबत करने या शहवत (वासना) से हवस व किनार करने की स्थिति में दम अनिवार्य है। चाहे इंज़ाल हो या ना हो।

शिकार करने की स्थिति में 2 आदिल मुसलमान जो इस शिकार की मूल्य घोषित करें। इसे सदखा करना अनिवार्य है।

सर के अतिरिक्त शरीर के कुछ विशेष हिस्सों से या सम्पूर्ण शरीर से एक ही समारोह में बाल निकालने पर एक दम अनिवार्य होगा। यदि अनेक मजलिस में अलग-अलग अनेक स्थान के बाल निकालें तो अलग अलग दम अनिवार्य व वाजिब होगा।

सर, दाढ़ी, गरदन, बग़ल तथा नाफ के नीचे के बाल निकाले जाएं तो दम वाजिब होगा। बाखी अन्य भाग के बाल निकालने पर सदखा वाजिब होगा।

www.Ziaislamic.com

यदि अहराम की स्थिति में हाथ पैर के सम्पूर्ण नाखून तराश लिए या किसी एक हाथ या एक पैर के 5 नाखून तराशे तो इस पर दम वाजिब है। यदि 5 से कम नाखून तराशे हों तो नाखून पर आधा साअ़ यथा लगभग सवा किलो गेहूं यी इस की राशि सदखा करना अवश्य है।

तथा यदि नाखून इस प्रकार टूट जाए के अब इस का अधिक दिखना नहीं होगा तो इस को तोड़ कर अलग करने में कोई समस्या नहीं।

(आलमगिरी, जिल्द 1, पः 244)

यदि सुगन्ध व खुशबू शरीर के किसी भाग पर लगाएं या अनेक भाग पर इस प्रकार लगाएं के इसे जमा किया जाए तो एक बड़े भाग के प्रकार हो तो ऐसी स्थिति में दम वाजिब है। यदि इस से कम हो तो सदखे फित्र वाजिब होगा।

अहराम की स्थिति में पुरुष लोगों के लिए ऐसा जूता या चप्पल पहन्ना श्रेष्ठ नहीं जिस से खदम के बीच की उभरी हुई हड्डी छिप जाए, किन्तु महिला के लिए जुराब व मोजे, जूता पहन्ना मना नहीं है।

अन्य निषिद्धः-

(1)- लड़ाई-झगगा एवं विवाद करना, साथ वालों, कर्मचारियों तथा सांसारिक मामले करने वालों पर भी क्रोध करना मना है। किन्तु धर्म की बात पर क्रोध करना एवं अ़म्र बिल मअ़रूप व नही अल मुन्कर ----- मना नहीं।

(2)- सर और मुंह पर पठ्ठी बाँधना यदि के रोग के कारण हो।

www.Ziaislamic.com

(3)- ऐसी रंगीन कपड़े पहन्ना, ओढ़ना जो केसर व ज़ाफरान, या वरस या किसी ओर सुगन्धित व खुशबूदार चीज़ में रंगा हो, जाइज़ नहीं किन्तु यदि रंगने के बाद धो ड़ाला हो या ऐसा उपयोग किया हुआ (प्रयुक्त) हो के इस से सुगन्ध ना आती हो तो जाइज़ है।

(4)- सुगन्धित व खुशबूदार चीज़ का खाना जैसे दाल चीनी, इलैची, लौंग, सोंठ, ऐसा कच्चा खाना जिस में सुगन्ध व खुशबू शामिल हो एवं इस की बो प्रभावित हो तथा यही स्थिति पीने की चीज़ का भी है।

(5)- बखुद दिए हुए कपडे का पहन्ना तथा ओढ़ना।

(6)- बालों या शरीर में मेहंदी लगाना, तथा तेल लगाना।

(7)- शरीर का इस प्रकार खुजाना के इस से सारे बाल टूट जाए या जूं मर जाए।

(8)- जूं का शरीर या कपडे से मारना या दूर करना या मारने के लिए धूप में डालना या किसी और से कहना के वह शरीर या कपडे से जूं को मारे या दूर करे।

(9)- हरम के दायरे के पेड़ व वृक्ष को सिवाए अज़खर घांस के काटना या चराना जाइज़ नहीं।

अहराम में मकरुबातः-

जो चीज़ें अहराम कि स्थिति में मकरुह (निषिद्ध) हैं तथा इन पर जज़ा अनिवार्य नहीं आती वह यह हैः-

(1)- शरीर से मैल का दूर करना।

(2)- बालों का खोलना।

(3)- सर के बालों या दाढ़ी में कंघी करना।

(4)- दाढ़ी या सर का या बाखी शरीर का ज़ोर से खुजाना जिस से बाल के टूटने या जूं के मरने का भय व खौफ हो।

(5)- चादर का गरदन पर बाँधना।

(6)- सर या मुंह का कअबे के ग़िलाफ से इस प्रकार छिपाना के सर या मुंह पर लग जाए।

(7)- अ़बा, खुबा जैसे पोसतीन लुबादे आदि का ओढना।

(8)- चादर या तेहबंद के एक किनारे को दूसरे किनारे से या दोनों किनारों को मिलाकर कांटना या सुई छुबोना या ड़ोरी आदि से बाँधना। चादर या तेहबंद के 2 पाट सी कर या पेवंद लगाकर बाँधना या ओढ़ना।

(9)- ग़ैर सुगन्धित सियाह (काला), ज़र्द, नीला कपडा, पहन्ना, सुगंध सूंघना या हाथ लगाना, शर्त है के इस का जरम (भावना) हाथ में ना लगे। सुगन्धित फूलों, फलों तथा बोटियों का सूंघना, इतर के पास या इस की दुकान पर सुगन्ध का सूंघने के लिए बैठना।

www.Ziaislamic.com

(10)- सर तथा मुंह के सिवा किसी और भाग पर बिना किसी रोग के पट्टी बाँधना, नाक या ठोड़ी का कपडे से ढांकना ये सब मकरूह है। परन्तु हाथ से ढांकना मकरूह नहीं।

(11)- जिस खाने की कच्ची चीज़ में सुगन्ध व खुशबू मिल कर प्रभावित हो गई यथा इस में से बो आती हो इस का खाना पीना तथा तकिये पर माथा रख कर ओढ़ना सोना भी मकरूह है।

(12)- पान में लौंग, इलाइची तथा सुगन्धित तम्बाकू आदि डाल कर खाना मकरूह है।

तलबिया तथा दुरूद शरीफ का कसरत से प्रबंध करें जब मसजिद हराम में प्रवेश हों सम्पूर्ण विनम्रता व सुशीलता के साथ शिष्ठाचार व आदरपूर्वक से, ये दुआ पढते हुए प्रवेश हों।

लिप्यंतरणः-

" بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ للّٰهِ وَ الصَّلوٰةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ .اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ ادْخِلْنِى فِيهَا اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسأَلُکَ فِىْ مَقَامِى هٰذَا اَنْ تُصَلِّىْ عَلٰى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُوْلِکَ وَ اَنْ تَرحَمْنِى وَ تُقَيلَ عَثَرَاتِى وَ تَغْفِرَ ذُنُوْبِى وَ تَضَعَ عَنِّى وِزْرِى-"

www.Ziaislamic.com

और प्रथम सीधा पैर प्रवेश करें।

फिर जब काबा पर नज़र पढ़े, प्रसन्नता करें तथा दुआएं करें क्यों के यह विशेष रूप से दुआओं की स्वीकार होने का अवसर होता है।

अल बहरुल राईख में है के हज़रत इमाम आज़म अबु हनीपा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक व्यक्ति को यह दुआ शिक्षण की के बैतुल्लाह को देखते समय यह दुआ करें के ऐ अल्लाह मुझे मुसतजाब अल दअवात बना दे। इस एक दुआ के स्वीकार होने से सम्पूर्ण दुआएं स्वीकार हो जाएंगी।

लिप्यंतरणः-

وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَنَاقِبِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْصَى رَجُلًا يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى مَكَّةَ بِأَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ الْبَيْتِ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ فَإِنْ اُسْتُجِيبَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ صَارَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ -

अत इस दुआ के साथ यह भी कहें पालनहार मुझे जाइज़ और भले दुआओं की मार्गदर्शन प्रदान करे। यदि कोई सामयिक नमाज़ का समय हो तो प्रथम नमाज़ संपादन कर लें। वरना इज़तेबा कर के मुताफ (तवाफ करने में) में आएं।

इज़तेबा का अर्थ यह है के चादर के दामन को दाहिने बगल के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डालना, तथा रमल का तात्पर्य यह है के दोनों

शानों को जंबिश देते हुए, सीने उभार कर, खरीब-खरीब खदम रख कर चलना जैसे पहलवान दंगल में चलते हैं।

रमल केवल प्रारंभ के 3 चक्करों में करना है। जिस तवाफ के बाद सई है इस तवाफ में रमल व इज़तेबा है। महिलाओं के लिए ना रमल है और ना इज़तेबा।

यह दुआ पढ़ते हुए हजरे-असवद की ओर पढेः-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَ اَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ يا ذَا الجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا–

अहराम की नीयत के समय से जो लब्बैक पढते आ रहे थे अब तवाफ के आरम्भ से ही इसे रोक दें। फिर अपना सीधा मोण्ड़ा हजरे-असवद के बायें कोने की स्थान के समक्ष हों तथा सम्पूर्ण हजरे-असवद दाहिनी ओर हो बाद में दवाफ की नीयत करें।

اللّٰھُمَّ اِنِّی اُرِیدُ طَوَافَ بَیتِکَ الحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَیسِّرْہُ لِی وَ تَقَبَّلْہُ مِنِّی-

भाषांतरः- ऐ अल्लाह मैं तेरी सन्तुष्टि व प्रसन्नता के लिए तेरे सम्मान व आदर वाले घर के तवाफ की नीयत करता/करती हुँ, तू इसी मेरे लिए सरल व आसान फरमा तथा इसे अपने दरबार में स्वीकार कर।

फिर हजरे-असवद के समक्ष आकर पढ़ेः-

بِسْمِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ اَکْبَرُ وَ لِلّٰہِ الحَمْدُ وَ الصَّلٰوۃُ عَلٰی سیدنا رَسُوْلِ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم-

कहते हुए कानों तक हाथ उठा कर छोड दें। इस के बाद अपने दोनों हाथ हजरे-असवद पर रख कर बीच में बोसा दें। इस को इस्तेलाम कहते हैं एवं इस में मुसतहब (श्रेष्ठतर) यह है के मुंह तथा पेशानी दोनों को रखें और 3 बार बोसा दें।

हजरे असवद चूमते समय की दुआः-

www.Ziaislamic.com

اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

यदि हुजूम इतना कसीर (लोग इतने सारे हों) हो के बोसा देना सम्भव नहीं हो तो इस पर हाथ लगा कर चूमे, यदि यह भी सम्भव ना हो तो लाठी आदि को लगा कर चूमे, यदि यह भी ना हो सके तो दोनों हाथ इस ओर कर केः-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ الحَمْدُ للّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيهِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

कहते होनें उठाएं तथा इस विश्वास के साथ हाथों को चूमें के गोया दोनों हाथों से इस को छू लिया है। इस प्रकार चूमें के आवाज़ ना आएँ।

फिर इज़तेबा किए हुए रमल के साथ दाहिने ओर चलें।

तवाफ के दौरान जो दुआ याद हो करते रहें, तथा इसी प्रकार वापिस जब हजरे-असवद के पास आएंगे तो तवाफ की एक चक्कर सम्पूर्ण होगी। इसी प्रकार 7 चक्कर लगाएं और हर चक्कर में हजरे-असवद का इस्तेलाम करें।

www.Ziaislamic.com

जब तवाफ सम्पूर्ण हो जाए तो फिर इबराहीम स्थान (मखामे-इ़बराहीम) की ओर यह आयत करीमा पढ़ते हुए चलें-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى —

भाषांतरः- तथा तुम इ़बराहीम स्थान के पास नमाज़ का स्थान बनाओ।

इबराहीम स्थान के पास 2 रकात नमाज़ संपादन कर लें। प्रथम रकात में सुरह अल काफिरून तथा दूसरी रकात में सुरह अल इखलास पढ़ें। यह 2 रकातें हनफी धर्म में वाजिब (अनिवार्य) है।

यदि इबराहीम स्थान के पास हुजूम (काफी लोग) हों तो फिर जिस स्थान पर सुविधा हो मसजिद में संपादन कर लें। तथा मकरूह समय हो तो यह 2 रकात नमाज़, मकरुह समय समाप्त होने के बाद संपादन कर लें।

इस के बाद मुलतज़म के पास आएं। दोनों हाथों को खोल कर के अपना सीना, पेट तथा दाहिना सर (चेहरा) काबे की दीवार से चिमटा दें। तथा दुआएं करते रहें।

टिप्पणीः- "*मुलतज़िम* " कअ़बा शरीफ के दरवाज़े तथा हजरे असवद के बीच के भाग को कहते हैं।

www.Ziaislamic.com

बाद में क़िबले की ओर खडे हो कर खूब ज़मज़म का पानी पीएं यह समय भी दुआओं व प्रार्थना के स्वीकार होने का है। सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः ज़मज़म जिस उद्देश्य व विचार के लिए पिया जाएगा वह उद्देश्य व लक्ष्य पूरा होगा।

इस समय यह दुआ़ पढेः-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَاسِعًا وَّ عَمَلاً صَالِحاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ -

और जब सई़ के लिए सफा को जा रहे हों तो इस से पूर्व हजरे-असवद का इस्तेलाम कर लें। इस प्रकार यह हजरे-असवद का 9 इस्तेलाब होगा।

मसजिद से निकलते समय दुआ़ पढ़ते हुए अपना बायां पैर आगे बढ़ाएं।

इस के बाद बाब सफा से सफा की ओर यह पढते हुए जाएँ-

اَبَدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِه , بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

www.Ziaislamic.com

और सफा पर चढ़ कर कअ़बा शरीफ की ओर रुक़ कर के हाथ काँधों तक उठाएं इस प्रकार हथेलियां आकाश की ओर हों एवं यह दुआ पढ़ेः-

اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى هَدَانَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ يحيِىْ وَ يمِيتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَا يمُوْتُ بِيدِهِ الْخَيرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئيٍ قَدِيرٌ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، وَ صَدَقَ وَعْدَه، وَ نَصَرَ عَبْدَه، وَ اَعَزَّ جُنْدَه، وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَه- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاه، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ- اللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الحَقُّ اُدْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَ اِنِّى اَسْاَلُكَ كَمَا هَدَيتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَه مِنِّى حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ العَظِيْمِ- اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِه وَ صَحْبِه وَ اَتْبَاعِه اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ- اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِمَشَائِخِىْ وَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِينَ وَ السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

www.Ziaislamic.com

अधिक जो दुआएं याद हों वह पढते रहें क्यों के ये भी दुआ व प्रार्थना स्वीकार होने का स्थान है।

फिर सफा से मरवह की ओर आहिस्ता रफतार से सफा से उतरते समय यह दुआ पढेः-

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّك وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ –(فتح القدير)

और मेलीन अखज़रीन (जिस के बीच हरी लाइट है) के दौरान तेज़ रफतार से चलें। महिलाएं मेलीन अखज़रीन के बीच भी अपने व्यवहार के अनुसार ही चलें। मेलीन अखज़रीन के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआः

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، إنَّك تَعْلَمُ مَا لا نَعْلَمْ. إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ –

इस प्रकार सफा से मरवह पर एक चक्कर सम्पूर्ण होगी तथा फिर मरवह से सफा जाने पर 2 चक्कर होंगे।

मरवह पहुंच कर कअबातुल्लाह की ओर रुक़ कर इसी प्रकार दुआ करें जिस प्रकार सफा पर की थी तथा फिर मरवह से सफा की ओर आएँ। इसी प्रकार 7 चक्कर सम्पूर्ण करें तथा सातवीं (7) चक्कर मरवह पर सम्पूर्ण हो गई।

जब सई से मुक्त हो जाएं तो इस के बाद हलख करवालें। उमरा हो या हज्ज हर 2 में अहराम खोलते समय हलख करवाना या बाल कतरवाना वाजिब (अनिवार्य) है। जिस के विरुद्ध करने पर "दम" वाजिब हो जाता है।

सम्पूर्ण सर के बाल को कांटना हलख करवाना कहते हैं तथा बाल कतरवाने की स्थिति में सम्पूर्ण सर के बाल अंगुली कि एक पूर से अधिक संख्या में कतरवाना मसनून (आधार) है। तथा सर के चौथाई बाल कतरवाने की स्थिति में अनिवार्य (वाजिब) तो संपदान हो जाता है। अतः यह कराहत (अनुचित व अप्रिय) से खाली नहीं।

और महिलाएं अपने सम्पूर्ण सर के बालों या चौथाई सर के बालों से लम्बाई में अंगुली की एक पूर के बराबर बाल कांट दें।

टिप्पणीः-

1- महिलाएं बाल कांटते समय इस प्रकार अपना सर खुला ना रखें के इन पर ग़ैर व अजनबी की नज़र पढे।
2- हलख या खसर हरम के दायरे में करवाना वाजिब व अनिवार्य है। यदि हरम के बाहर हलख या खसर करवाएं तो दम वाजिब होगा।

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अहराम खोलते समय हलख करवाने वाले लोगों को विशेष रूप से दुआओं से आभूषण किया। सहीह बुखारी शरीफ में हदीस पाक हैः-

www.Ziaislamic.com

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ .قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ-

भाषांतरः- हज़रत अबदुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ अल्लाह हलख करवाने वालों पर रहम फरमा! सहाबा किराम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम! बाल कम कतरवाने वाले ? आप सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

ऐ अल्लाह! हलख करवाने वालों पर रहम फरमा! सहाबा किराम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम! और बाल कम करवाने वाल? आप सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः इन पर भी रहम फरमाएं।

(सहीह बुखारी, हदीस संख्याः 1612)

इस प्रकार उ़मरा सम्पूर्ण हो चुका। आप पावन मक्के में जब तक निवास हों, जिस प्रकार चाहें तवाफ किए जा सकते हैं एवं यदि दुसरा उ़मरा करने का उद्देश्य हो तो आफाखी भी मसजिद आयशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु, जअ़राना आदि से अहराम बाँध कर उ़मरा कर सकता है।

अल्लाह तआ़ला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के सदखे तुफैल बैतुल्लाह का हज्ज, उ़मरा तथा ज़ियारते-मुखद्दसा की कृपा प्रदान करे।

आमीन

www.Ziaislamic.com